UPKU040282912026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3506/2026

सरकार बनाम सुवाष।

आदेश

दिनांक 13.08.2026 :–

1– अभियुक्त **सुवाष** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना– पत्र, मु०अप० सं०–322/2022 धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना नेबुआ नौरंगिया जिला– कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 12.08.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।

2– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है, फर्जी तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। अभियुक्त जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तर्कों के प्रकाश में जमानत देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

3– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– अभियुक्त पूर्व से जमानत पर रहा है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आरोपित अपराध विचारण का विषय वस्तु है, अभियुक्त जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। अभियुक्त के द्वारा जमानत के दुरूपयोग की कोई अंदेशा नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा रू० **20000/–** की **एक जमानत** तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन हेतु अण्डटेंकिग पेश करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

1.प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहेंगे।

2.प्रार्थी/अभियुक्त इस केस के गवाहों को किसी किस्म की कोई धमकी नहीं देगा और परेशान नहीं करेंगे, और किसी भी तरीके से अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ नहीं करेंगे।

3.प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के पता एवं उसके जमानतियों के पते में परिवर्तन होने पर तुरन्त स्वयं व जमानतियों के परिवर्तित पतों की सूचना विवरण न्यायालय में देंगे।

4.प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में यदि किसी नियत तिथि पर गवाह उपस्थित है, और तारीख अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है, तो किसी किस्म का कोई स्थगन नहीं देंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन करने की दशा में अभियुक्त को प्रदान करने की गयी यह जमानत निरस्त की जा सकती है।

(राहुल जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।